



उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

प्री.बी.एक्स.
फैक्स : 0522-2629284
ग्राम : "प्रोबैंक"
टैलेक्स : 0535-362 APEX IN

पत्रांक: बैंकिंग/एफ-71/2015-16/ 57

दिनांक: 29 मई, 2015

प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक,
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,
समस्त शाखाएं
उत्तर प्रदेश।

विषय: बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं पर चार्ज किये जा रहे सेवाकर (Service Tax) की दर को संशोधित करने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के पत्रांक- बैंकिंग/एफ-71/2012-13/सी-04 दिनांक 05 जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा कर (Service Tax) चार्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 मई, 2015 को जारी Notification N0.14/2015 Service Tax के माध्यम से Notification No. 2/2012 को रद्द करते हुए दिनांक 01.06.2015 से सेवाकर की दर को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 14 प्रतिशत की दर से नियमानुसार सेवाकर (Service Tax) चार्ज करना सुनिश्चित करें।

(रवि कान्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- सहायक महाप्रबन्धक(आई.टी.), उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रिंग रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक